

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस

अपील सख्या 230/2022 (आरसीएमएस नं. 2022/00230)

अब्दुले खां पुत्र श्री सम्मी खां जाति मुसलमान निवासी चक एस.टी.बी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) जरिये मुखत्यार आम देशराज पुत्र श्री मोहनलाल जाति अरोड़ा वार्ड नं. 17 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़। (राजस्थान) —अपीलांट

बनाम

1. जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी दौलतावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़। (राजस्थान)
2. जसवन्त सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी दौलतावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़। (राजस्थान)

—रेस्पोंडेन्ट्स



अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरुद्ध आदेश व डिक्री दिनांक 01.02.2019

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा

प्रकरण सं० 120/2016 अनवान जोगेन्द्र सिंह बनाम जसवन्त सिंह

उपस्थिति:—

श्री मोहन मुंजाल, अभिभाषक अपीलांट

निर्णय

दिनांक 28.12.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोंडेन्ट सं० 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद-पत्र अधिकारों की घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसमें कथन किया, जिसमें चक 9

Caro

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

एसटीबी की जमाबंदी संवत् 2079 के चालू खाता सं० 65/11 की कुल 1.010 है० कमाण्ड भूमि जो वादी को वसीयतकर्ता सूबासिंह पुत्र पालसिंह द्वारा वसीयत की गई होने का कथन करते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना-पत्र के साथ पेश की है।

2. रेस्पोंडेंट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। अपीलाण्ट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि आराजी मौजा बड़ोपल हरचन्द पति के खसरा नं. 132/6/1 की 8 बीघा, खसरा नं. 76/ की 18.10 बीघा व खसरा नं. 78 की 2.17 बीघा कुल 29.07 बीघा भूमि राजाराम पुत्र मंगलूराम व चेताराम पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी दौलतावाली को आवंटित हुई थी जो उसने कब्जा काश्त के अनुसार दिनांक 30.07.1959 को नन्दराम पुत्र गोविन्दराम को व नन्दराम द्वारा दिनांक 13.05.1967 को रणजीत सिंह को व रणजीत सिंह वगैरा ने दिनांक 13.05.1968 को मलसिंह पुत्र सुल्तान सिंह को बेचान कर दी। इसी क्रम में सुल्तान सिंह ने कुल 29.05 बीघा दिनांक 06.05.1975 को बेचान कर दी गई, जो नये किला नं. में फिट हुई। अपीलाण्ट ने तहसीलदार पीलीबंगा के समक्ष उक्त वर्णित अपनी खरीदशुदा भूमि की खातेदारी दिये जाने के लिए प्रकरण अन्तर्गत धारा 15एएए (2क) आरटीएक्ट अनवानी अब्दुले खां बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण सं० 36/1998 प्रस्तुत किया जो प्रकरण दिनांक 28.01.1999 को खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक सनद जारी की गई थी। तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा पारित निर्णय व आदेश अन्तिम व बाध्यकारी है तथा कानूनन उक्त निर्णय व आदेश के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय कोई आदेश पारित नहीं कर



Law

राजस्व अपील प्राधिकारी
बनुमानसिंह

सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने श्री सूबा सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रकरण सं० 33/2007 कतई गलत रूप से स्वीकार कर श्री सूबासिंह के पक्ष में निर्णय व डिक्री परित की है जिसके विरुद्ध अपीलान्ट ने पृथक से अपील अब्दुले खां बनाम जोगेन्द्रसिंह वगैर प्रस्तुत की हुई है। श्री सूबासिंह पुत्र पालसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र प्रकरण सं० 33/2007 के अभिकथनों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत कृषि भूमि 1955 से पूर्व की अर्थात् प्रि-55 की है एवं प्री-55 की कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार आरटीएक्ट की धारा 15एए (2क) के अन्तर्गत ही दिये जा सकते हैं। इसलिए राजस्थान काश्तकारी की धारा 88 के तहत प्रि-55 के खातेदारी अधिकार की घोषणा का वाद पोषणीय नहीं है। वर्णितानुसार चक 9 एस.टी.बी. के प. नं. 47/350 के किला नं. 21, 22 की 12 बिस्वा व 23 की 3 बिस्वा अर्थात् कुल 1.15 बीघा भूमि अपीलान्ट के स्वामित्व एवं खातेदारी की भूमि है जिसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सं० 33/2007 में पारित निर्णय व डिक्री से श्री सूबा सिंह को उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं। अपीलान्ट का प्रश्नगत भूमि पर निर्बाध गति से कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट अपीलान्धीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है। अपीलान्धीन निर्णय का अपीलान्ट को ज्ञान नहीं था। ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलान्धीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
5. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र सशपथ होने एवं चक 9 एस.टी.बी. के प. नं. 47/350 के किला नं. 21, 22 की 12 बिस्वा व 23 की 3 बिस्वा अर्थात् 1.15 बीघा कृषि भूमि अपीलान्ट के स्वामित्व व कब्जा काश्त की भूमि होने के कारण अपीलान्ट प्रकरण में एक प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। अतः अपीलान्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

Law

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़



6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोजेण्ट सं० 1 ने अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया था जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा डिक्री किया गया है। बहस में आये तथ्यों के अनुसार अपीलाण्ट ने तहसीलदार पीलीबंगा के समक्ष उक्त वर्णित अपनी खरीदशुदा भूमि की खातेदारी दिये जाने के लिए प्रकरण अन्तर्गत धारा 15एएए (2क) आरटीएक्ट अनवानी अब्दुले खां बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण सं० 36/1998 प्रस्तुत किया जिसमें 1 दिनांक 28.01.1999 को खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 28.01.1999 को सनद जारी की गई थी। तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा पारित निर्णय व आदेश अन्तिम व बाध्यकारी है तथा कानूनन उक्त निर्णय व आदेश के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय कोई आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है। श्री सूबासिंह पुत्र पालसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र प्रकरण सं० 33/2007 के अभिकथनों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत कृषि भूमि 1955 से पूर्व की अर्थात् प्रि-55 की है एवं प्री-55 की कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार आरटीएक्ट की धारा 15एएए (2क) के अन्तर्गत ही दिये जा सकते हैं। इसलिए राजस्थान काश्तकारी की धारा 88 के तहत प्रि-55 के खातेदारी अधिकार की घोषणा का वाद पोषणीय है अथवा नहीं इस बिन्दू पर भी विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया जाना उचित है। अपीलाण्ट द्वारा अपील में उठाये गये बिन्दूओं का किसी पक्ष द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।
2. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन

Law

राजस्व अपील प्राधिकारी
बनुमानगढ़



निर्णय व डिक्री दिनांक 01.02.2019 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



28/12/22
(करतार सिंह पूनिया)
राजस्थान अपील प्रसिद्धिकारी
हनुमानगढ़